सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 260/2015

बउनवान

रामगोपाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 7.3.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 87/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 18.9.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम ढोटी की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 खेल मैदान सम्वत् 2072 मे खसरा नम्बर 1986/304 रकबा 0.82, 304 की रकबा 2.00 किता 2 की रकबा 2.82 हेक्टयर भूमि पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1410/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 11.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 28/2015 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 11.12.2015 से स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के ऊपर उपलब्ध समस्त तथ्यो का विवेचन न करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम ढोटी की खसरा नम्बर 1986/304 रकबा 0.82 है0 एवं खसरा नम्बर 304 रकबा 2.00 है0 कुल 2 किता रकबा 2.82 है0 भूमि किस्म गैर मुमकीन खेल मैदान पर अतिक्रमण मानकर अपीलांट को 30 दिन के सिविल कारावास एवं 1410/– रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है एवं अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना है जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत है।

निर्णय दिनांक 18.9.2015 की अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई तथा अपीलांट की अनुपस्थिति मे एकतरफा निर्णय पारित किया है। जो सर्वथा खिलाफ कानून है। अपीलांट को निर्णय दिनांक 18.9.2015 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.12.2015 को हुई जब पुलिस अपीलांट को गिरफ्तार करने गांव मे आयी, तब अपीलांट ने अटरू जाकर मालूम किया एवं दिनांक 4.12.2015 को ही नकल के लिये प्रार्थना पत्र लगाया एवं दिनांक 4.12. 2015 को ही नकल मिली। अतः तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। इस कारण दिनांक 8.9.2015 से दिनांक 4.12.2015 तक की अवधि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत कण्डोन फरमायी जावे। इसके लिये धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अलग से पेश कर दिया गया है।

यह भूमि सरकारी भूमि नही है। गैर मुमकीन खेल मैदान की भूमि है, जिसके बाबत नायब तहसीलदार अटरू को कार्यवाही करने का अधिकार नही था, क्योकि धारा 91 एल.आर.एक्ट मे भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से माना गया है, जो चारागाह भूमि हो या सार्वजनिक कुआं, नदी, जोहड या तालाब की भूमि हो। इसी प्रकार की भूमि को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत माना गया है। गैर मुमकीन खेल मैदान की भूमि सरकारी भूमि नही होती, इसके बाबत तहसीलदार अटरू को 91 एल.आर.एक्ट मे कार्यवाही करने का अधिकार नही था फिर भी तहसीलदार अटरू ने अपने क्षेत्राधिकार से अलग हटकर जो सजा दी है या निर्णय पारित किया है वह कानून सम्मत नही है। यदि अपीलांट की सजा माफ नही की गई तो अपीलांट को भारी परेशानी उठानी पडेगी। अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा निर्णय दिनांक 18.9.2015 निरस्त फरमाया जावे एवं पत्रावली सुनवायी हेतु पुनः तहसीलदार अटरू को रिमाण्ड की जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म गैर मुमकीन खेल मैदान की भूमि पर फसल उढद की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया ओर तामील खुले मकान पर चस्पा की जाकर करवाई गयी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। गैर मुमकीन खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार अटरू को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने के अधिकार प्राप्त है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी रकबे पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील खुले मकान पर चस्पा की जाकर करवाई गई है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू मे अनुपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 87/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.9.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां